In fast or fragile markets, insight brings perspective.

Decode market moves with sharp, fast, expert analysis — *every day* with **Stocks in the News** in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

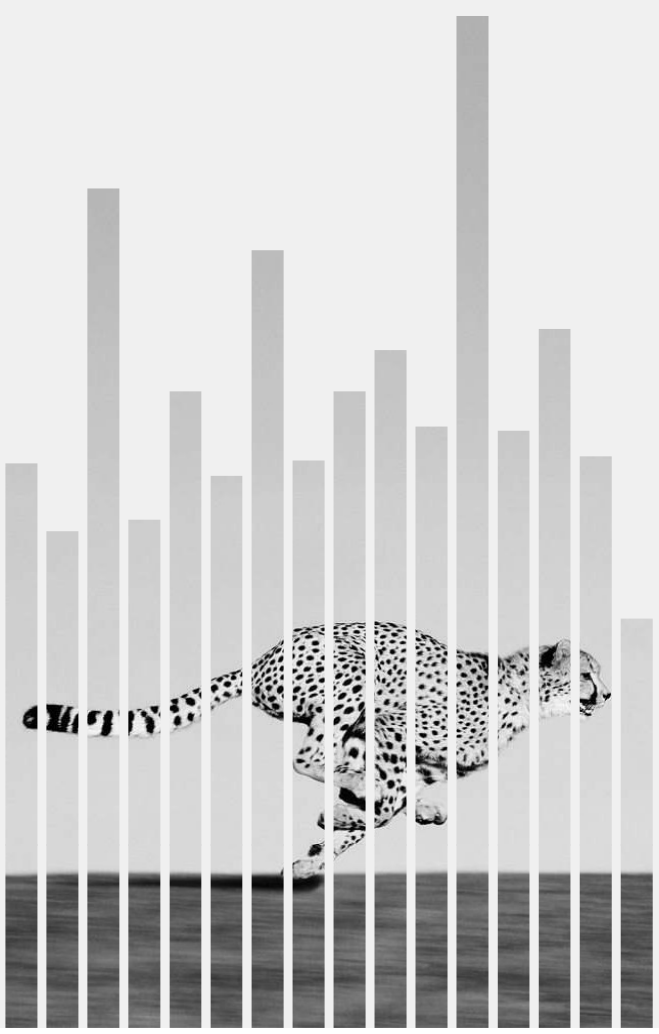

Business Standard
Insight Out

businessstandard bsindia business-standard.com

AXIS BANK

पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल', तीसरी मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर के सामने, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद–380006

सरफॉएसि अधिनियम 2002 के अंतर्गत अधिग्रहण सूचना

जबकि अधोहस्ताक्षरी ने, एक्सिस बैंक लिमिटेड के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 की धारा 13 (12) के साथ नियम 9 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नीचे उल्लिखित उधारकर्ता को उक्त नोटिस की प्राप्ति तिथि से 60 दिनों के भीतर नोटिस में उल्लिखित राशि का भुगतान करने के लिए मांग नोटिस जारी किया था। उधारकर्ता द्वारा राशि का भुगतान न करने पर, उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 (4) के साथ नियम 8 के तहत मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे उल्लिखित तिथियों को कब्जा कर लिया है। उधारकर्ता और आम जनता को चेतावनी दी जाती है कि वे संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करें और संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन एक्सिस बैंक लिमिटेड के प्रभार के अधीन होगा।

ऋणकर्ता और सह–ऋणकर्ता के नाम : श्री अक्षय मान पुत्र श्री गिरधारी लाल (ऋणकर्ता), श्री गिरधारी लाल पुत्र राम प्रताप (सह–ऋणकर्ता/बंधककर्ता), श्रीमती मनोज पत्नी अक्षय मान (सह–ऋणकर्ता)

संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति के समस्त वह भाग तथा अंश जो ग्राम धानी जट्टाँ, तहसील–इलानाबाद, सिरसा, हरियाणा में स्थित हैं, जिनका क्षेत्राधिमापन 187 वर्ग गज है, जो श्री गिरधारी लाल पुत्र श्री राम प्रताप से संबंधित है।

मांग सूचना की तिथि :	अधिग्रहण की तिथि :	मांग सूचना में राशि (रु.) : रु. 41,30,895.5/–
13–11–2025	05–06–2026	(+ब्याज और लागत सहित)

ऊपर वर्णित ऋणकर्ता(ओं)/सह–ऋणकर्ता(ओं)/गारंटर(यों)/बंधककर्ता(ओं) को एतद्द्वारा राशि का प्रतिभुगतान करने के लिए एक 30 दिवसीय सूचना दी जाती है, अन्यथा बंधककृत संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8 एवं 9 के अंतर्गत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार, इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवसाके समापन पर, बेच दिया जायेगा।

उधारकर्ताओं का ध्यान सुरक्षित परिसंपत्तियों को ऋण से मुक्त कराने के लिए उपलब्ध समय के संबंध में सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आकृष्ट किया जाता है।

दिनांक : 09–06–2026 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : हरियाणा/राजस्थान **एक्सिस बैंक लिमिटेड**

पंजीकृत पावती देय/दस्ती/नत्थी/मुनादी/
समाचार पत्र प्रकाशन/सभी अनुमत माध्यमों से

कार्यालय वसूली अधिकारी
ऋण वसूली न्यायाधिकरण–I, दिल्ली

4वां तल, जीवन तारा बिल्डिंग, पार्लियामेंट स्ट्रीट, नई दिल्ली–110001

आर.सी. नं. 353/2024

बिक्री उद्घोषणा

केनरा बैंक बनाम आरुष एक्सट्रूजन प्रा. लि.

बैंक एवं वित्तीय संस्थानों को देय ऋणों की वसूली अधिनियम, 1993 के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की दूसरी अनुसूची के नियम 38, 52(2) के तहत बिक्री की उद्घोषणा

(सीडी 1) आरुष एक्सट्रूजन प्राइवेट लिमिटेड, 2063/1एफएफ, गली नंबर 6, चूनामंडी, पहाड़गंज, नई दिल्ली–110055
अन्य पताः प्लॉट नं. 613, क्यू–2, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, खुशखेड़ा, जिला अलवर (राजस्थान)

(सीडी 2) चंदर प्रकाश पबरेजा पुत्र देव राज पबरेजा,

(सीडी 3) अंजू पबरेजा पत्नी चंदर प्रकाश पबरेजा,

(सीडी 4) सचिन चावला पुत्र सुभाष चावला

(सीडी2) से (सीडी4) निवासी जी–303, साईं बाबा अपार्टमेंट, सेक्टर–9, रोहिणी, दिल्ली–110085

(सीडी5) देव राज पबरेजा पुत्र हेम राज, निवासी 92, शारदा निकेतन, पीतमपुरा, दिल्ली–110034

अधोल्लिखित संपत्ति माननीय पीठासीन अधिकारी, डीआरटी–I द्वारा जारी वसूली प्रमाणपत्र के अनुसार देय (इसमें से पहले ही वसूल की गई रकम, यदि कोई हो, घटा दी जाएगी) **रु. 43,49,58,419.48 (रुपये तैंतालीस करोड़ उनचास लाख अट्ठावन हजार चार सौ उन्नीस और अड़तालीस पैसा मात्र)** और देय ब्याज एवं लागत की **आरुष एक्सट्रूजन प्रा. लि.** से वसूली के लिए दिनांक **10/07/2026** को **सार्वजनिक ई–नीलामी बिक्री** द्वारा बिक्री की जायेगी।

संपत्ति का विवरण

लॉटों की सं.	बेची जा रही संपत्ति का विवरण सह–मालिकों के नाम सहित जहाँ संपत्ति चूककर्ता की है और अन्य कोई सह–मालिकों के रूप में है	संपत्ति या इसके किसी भाग पर आंका गया राजस्व	कोई भी भार जिसके अधीन संपत्ति है, का विवरण	मूल्यांकन में सर्टिफिकेट देनदार द्वारा बताई गई मूल्यांकन राशि, यदि कोई हो, का भी उल्लेख किया जाए	दावे, यदि कोई हो, जो सपंत्ति पर अग्रेषित किये गये हैं, और इसकी प्रकृति एवं मूल्य पर अन्य कोई ज्ञात विवरण	आरक्षित मूल्य जिससे कम पर संपत्ति की बिक्री नहीं की जायेगी	आरक्षित मूल्य की 10% ईएमडी पूर्णांकित
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	प्रतिवादी नं. 1 द्वारा स्वामित्व प्लॉट नं. 221एफ, ब्लॉक एच1, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, खुशखेड़ा, राजस्थान	ज्ञात नहीं	ज्ञात नहीं	नहीं	ज्ञात नहीं	रु. 1.60 करोड़	रु. 16.00 लाख
	प्रतिवादी नं. 1 द्वारा स्वामित्व प्लॉट नं. 613 (क्यू2), ब्लॉक जी1, रीको इंडस्ट्रियल एरिया, खुशखेड़ा, राजस्थान					रु. 4.00 करोड़	रु. 40.00 लाख

1. नीलामी/बोली लगाने की प्रक्रिया केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, यानी ई–नीलामी वेबसाइट https://baanknet.com के जरिए होगी।
2. बोली लगाने के इच्छुक लोगों को सेवा प्रदाता के पास पहले से ही पंजीकरण कराना होगा और **ई–नीलामी** में भाग लेने के लिए यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना होगा। यह तभी मिल सकता है जब जरूरी धरोहर राशि जमा (ईएमडी) नीचे बताए गए तरीके से जमा की जाए।
3. धरोहर राशि जमा (ईएमडी) दिनांक **07.07.2026** को सुबह 05:00 बजे तक **वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क** (BAANKNET) https://baanknet.com पर जमा की जानी चाहिए। इसके बाद जमा की गई ईएमडी पर ई–नीलामी में भाग लेने के लिए विचार नहीं किया जाएगा।
4. इसके अलावा, पैन कार्ड, पते का प्रमाण और पहचान प्रमाण की कॉपी, ई–मेल आईडी, मोबाइल नंबर, और अगर कंपनी है, तो कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा पास किए गए बोर्ड रिज़ॉल्यूशन की कॉपी या कंपनी का प्रतिनिधित्व/अटॉर्नी साबित करने वाला कोई अन्य दस्तावेज और जमा राशि की रसीद/काउंटर फाइल, ई–नीलामी वेबसाइट पर सॉफ्ट कॉपी अपलोड करके **07/07/2026** को शाम 05:00 बजे तक या उससे पहले सेवा प्रदाता तक पहुँच जानी चाहिए। साथ ही, ईएमडी जमा करने की रसीदों के साथ हार्ड कॉपी भी **07/07/2026** तक वसूली अधिकारी–II, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में पहुँच जानी चाहिए। यह भी तय किया गया है कि असफल बोलीदाताओं की धरोहर राशि जमा (ईएमडी) उसी भुगतान माध्यम से उनके संबंधित खातों में वापस कर दी जाएगी।
5. बोली लगाने के इच्छुक लोग सेवा प्रदाता से ऑनलाइन प्रशिक्षण ले सकते हैं:

नीलामी एजेंसी का नाम	**बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क (BAANKNET)**
संपर्क व्यक्ति	**श्री उदय जाधव (प्राधिकृत अधिकारी, Baanknet)**
सहायता नंबर	+91-9820878255
सहायता ई–मेल आईडी	Support.BAANKNET@psballiance.com; 8291220220
बैंक अधिकारी	**श्री मनोज कुमार, मुख्य प्रबंधक, मोबाइलः** 011-26513121; 8826933887

6. संभावित बोली लगाने वालों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी बोली जमा करने से पहले बिक्री की विस्तृत शर्तों और प्रक्रिया के लिए वेबसाइट https://baanknet.com देखें।
7. संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम मूल्य पर नहीं बेचा जाएगा।
8. संपत्ति को 02 लॉट में बेचा जाएगा, और हर लॉट के लिए **आरक्षित मूल्य ऊपर बताया गया है।**
9. पूरी नीलामी के दौरान बोली लगाने वाले को अपनी बोली में **रु.1,00,000/–** के गुणक में बढ़ोत्तरी करनी होगी।
10. संपत्ति **"जहाँ है, जो है और जैसी भी है"** आधार पर बिक्री की जा रही है और ई–नीलामी एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर प्रकाशित अन्य शर्तों और नियमों के अधीन होगी।
11. उच्चतम बोली लगाने वाले को **वॉलेट बैंक एसेट ऑक्शन नेटवर्क** (BAANKNET) https://baanknet.com में पहले से जमा ईएमडी राशि को समायोजित करते हुए अपनी अंतिम बोली की राशि की 25% राशि अगले बैंक कार्य दिवस में **अप. 4:00 बजे** तक **वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 353/2024** के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से जमा करनी होगी।
12. **सफल बोलीकार/नीलामी खरीदार को बिक्री मूल्य का बाकी 75% हिस्सा संपत्ति की बिक्री की तारीख से 15वें दिन या उससे पहले जमा करना होगा। यदि 15वां दिन रविवार या कोई अन्य छुट्टी का दिन है, तो बैंक के अगले पहले कार्य दिवस में वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली खाता आर.सी. नं. 353/2024 के पक्ष में डिमांड ड्रॉफ्ट/पे आर्डर के माध्यम से जमा करनी होगी। इसके अलावा, खरीदार को कुल बिक्री राशि पर 1% की दर से पाउंडेज शुल्क (प्लस 10 रुपये) भी रजिस्ट्रार, डीआरटी–I, दिल्ली के पक्ष में डीडी के माध्यम से जमा करना होगा। पाउंडेज शुल्क के लिए बनाया गया डीडी सीधे वसूली अधिकारी, डीआरटी–I, दिल्ली के कार्यालय में जमा करना होगा।**
13. निर्धारित अवधि में भुगतान न करने की स्थिति में, बिक्री के खर्चों को घटाने के बाद जमा की गई राशि को (यदि अधोहस्ताक्षरी उचित समझे) सरकारी खाते में जब्त किया जा सकता है और चूक करने वाले खरीदार का संपत्ति या जमा की गई राशि पर कोई दावा नहीं रहेगा। बिक्री की नई घोषणा जारी होने के तुर्रंत बाद संपत्ति को फिर से बेचा जाएगा। साथ ही, खरीदार अपनी अंतिम बोली की राशि और बाद में जिस मूल्य पर संपत्ति बेची जाती है, उसके बीच के किसी भी अंतर या कमी की भरपाई करने के लिए भी उत्तरदायी होगा।
14. नीलामी का कार्यक्रम इस प्रकार है:–

सभी माध्यमों से नोटिस की तामील	06.06.2026	
संपत्ति का निरीक्षण	23.06.2026	**अप. 1:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक और यह एसबीआई जिसके पास नीलामी की जा रही संपत्ति की चाबियाँ हैं, द्वारा आयोजित की जाएगी।**
धरोहर राशि जमा के साक्ष्य सहित भौतिक बोलियाँ और नीलामी दस्तावेजों को एजेंसी पोर्टल पर अपलोड करने की अंतिम तिथि	06.07.2026	**अप. 5:00 बजे तक**
ई–नीलामी की तिथि एवं समयः	10.07.2026	**दोपहर 12:00 से अप. 01:00 बजे तक**

15. वसूली अधिकारी के पास बिना किसी कारण बताए किसी भी बोली या बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने या ई–नीलामी को आगे स्थगित या निरस्त करने का पूरा अधिकार है।

इस न्यायाधिकरण की मेरी हस्त मुहर से 13.05.2026 को जारी किया गया।

निरंजन शर्मा
वसूली अधिकारी–II,
ऋण वसूली न्यायाधिकरण– I, दिल्ली

Choice The Joy of Earning

चॉइस फिनसर्व प्रा. लि.
मुख्य कार्यालयः सुनील पाटोदिया टेस्टर, जे.बी. नगर, अंधेरी (पूर्व), मुंबई 400099
जयपुर कार्यालयः यूनिक टॉवर फ–32, सुमेर नगर, मानसरोवर, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर, राजस्थान – 302020, राजस्थान, भारत

[नियम–8 (1)] कब्जा सूचना (अचल संपत्ति के लिए)

जबकि अधोहस्ताक्षरी, चॉइस फिन्सरी प्राइवेट लिमिटेड (सीएफपीएल) के अधिकृत अधिकारी होने के नाते, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा सुरक्षा हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत, और सुरक्षा हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 17 जून 2025 को एक मांग नोटिस जारी किया, जिसमें हमारे उदयपुर – शक्ति नगर शाखा के ऋण खाता संख्या LBLF300923BS006 के उपरोक्त उल्लिखित उधारकर्ताओं को उक्त नोटिस की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर मांग नोटिस में उल्लिखित बकाया राशि, जो कि 45,56,393/– रुपये (पैंतालीस लाख छप्पन हजार तीन सौ तिरानवे रुपये मात्र) है, का भुगतान करने के लिए कहा गया था।

उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं/गारंटरों द्वारा राशि का पुनर्भुगतान न कर पाने के कारण, उधारकर्ता और आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के साथ सुरक्षा हित प्रवर्तन नियम, 2002 के नियम 8 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने 6 जून 2026 को नीचे वर्णित संपत्ति पर भौतिक कब्जा ले लिया है।

ऋणकर्ता का ध्यान अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है, जो गिरवी रखी गई संपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय से संबंधित है।

ऋणकर्ताओं/सह–ऋणकर्ताओं/गारंटरों को विशेष रूप से और आम जनता को यह चेतावनी दी जाती है कि वे उक्त संपत्ति से संबंधित कोई भी लेन–देन न करें और संपत्ति से संबंधित किसी भी प्रकार का लेन–देन चॉइस फिन्सरी प्राइवेट लिमिटेड (सीएफपीएल) के प्रभार के अधीन होगा, जिसकी राशि नीचे उल्लिखित है और उस पर ब्याज भी लगेगा।

अचल संपत्तियों का विवरण

अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा–जिसका माप 3203.0 वर्ग फुट है। यह संपत्ति आराजी नंबर 972/406 (पुराना आराजी नंबर 406/1/1), प्लॉट नंबर 1, ग्राम बोरवट, पटवार हल्का बोरवट, तहसील और जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) 327603 में स्थित है। संपत्ति के मालिक का नाम–हितेश कुमार कलाल पुत्र गणपत लाल कलाल और नेहा कलाल पत्नी: हितेश कुमार कलाल सीमा का विवरण–पूर्व की ओर–अन्य आबादी जमीन, उत्तरीय पश्चिम की ओर–बोरवट–बोडला ग्रामीण सड़कें उत्तर की ओर–प्लॉट नंबर 2, दक्षिण की ओर–बाकी बची हुई कन्टेंड जमीन।
2. अचल संपत्ति का पूरा हिस्सा जो जिसका माप 3205 वर्ग फुट है। यह संपत्ति आराजी नंबर 972/406 (पुराना आराजी नंबर 406/1/1), प्लॉट नंबर 1, ग्राम बोरवट, पटवार हल्का बोरवट, तहसील और जिला बांसवाड़ा (राजस्थान) 327603 में स्थित है। संपत्ति के मालिक का नाम – नेहा कलाल पत्नीः हितेश कुमार कलाल।
सीमा का विवरण – पूर्व की ओरः अन्य आबादी वाली जमीन पश्चिम की ओरः बोरवट–बोडला ग्रामीण सड़क उत्तर की ओरः प्लॉट नंबर 3 दक्षिण की ओरः प्लॉट नंबर 1
3. अचल संपत्ति का पूरा टुकड़ा और मापाकृ 1408.4 वर्ग फुट, पट्टा संख्या 10, आराजी संख्या 461 और 462, पट्टा संख्या 10, ग्राम एवं ग्राम पंचायत– गामड़ी, पंचायत समिति– बांसवाड़ा, जिला बांसवाड़ा 327603 में स्थित है।संपत्ति स्वामी का नाम– गणपत लाल काले, पुत्र कवंरू लाल कलाल।
सीमा विवरण– पूर्व की ओर– रतनलाल/गौतम कुम्हार का घर, पश्चिम की ओर– बाड़ा और रूपफी/माधवजी का घर, उत्तर की ओर– गल्ल, दक्षिण की ओर– विहल/तेजेरा पाटीदार का घर।

दिनांकः– 06.06.2026 स्थानः बांसवाड़ा **अधिकृत अधिकारीः चॉइस फिन्सरी प्राइवेट लिमिटेड**

AXIS BANK

पंजीकृत कार्यालय : 'त्रिशूल' 3 मंजिल, समर्थेश्वर मंदिर, लॉ गार्डन, एलिसब्रिज, अहमदाबाद 380006

सरफेसी अधिनियम 2002 के तहत कब्ज़ा सूचना

चूंकि, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 9 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में एक्सिस बैंक लि. के प्राधिकृत अधिकारी मौजूदा अधिकारी ने उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि के 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित राशि का भुगतान करने के लिए नीचे वर्णित ऋणी को बुलाने के लिए मांग सूचना जारी की थी। ऋणी राशि का भुगतान करने में असफल रहे, एतद्द्वारा ऋणी और सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरी ने उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों के अनुपालन में यहां नीचे वर्णित संपत्ति पर नीचे वर्णित तिथियों पर कब्जा ले लिया है। विशेष रूप से ऋणी और सर्वसाधारण को एतद्द्वारा संपत्ति के साथ लेन–देन न करने की चेतावनी दी जाती है और संपत्ति के साथ किया गया कोई भी लेन–देन एक्सिस बैंक लि. के प्रभार का विषय होगा।

ऋणी व सह–ऋणी का नाम : श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री मणि राम (ऋणी/गिरवीकर्ता)

संपत्ति का विवरण : आवासीय संपत्ति पट्टा नं. 16 के सभी भाग व शेष, ग्राम मोहन मगरिया, तहसील व जिला हनुमानगढ़, राजस्थान 335524 में स्थित, क्षेत्र माप 2500' वर्ग फुट श्री कृष्ण कुमार पुत्र श्री मणि राम से संबंधित और सीमाएं निम्नानुसार : पूर्व : सुरेंद्र पश्चिम : ओम प्रकाश, उत्तर : इंद्र पाल दक्षिण : रास्ता

मांग सूचना तिथि :	कब्ज़ा तिथि	मांग सूचना में राशि (रु.) :
01/12/2025	05-06-2026	Rs. 10,79,772/- (+ब्याज व लागत)

उक्त वर्णित ऋणी/सह– ऋणी/गारंटर को एतद्द्वारा राशि का भुगतान करने के लिए 30 दिनों की सूचना दी जाती है, अन्यथा गिरवी संपत्तियों को प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली, 2002 के नियम 8 व 9 के तहत प्रावधानों के अनुसार इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिनों की समाप्ति पर बेची जाएगी। ऋणी का ध्यान प्रतिभूतित परिसंपत्तियों को छुड़ाने के लिए उपलब्ध समय के संबंध सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13 की उप धारा (8) के प्रावधानों के लिए आमंत्रित है।

दिनांक : 09.06.2025 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी,**
स्थान : राजस्थान **एक्सिस बैंक लि.**

सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड

कब्जा सूचना [(परिशिष्ट–IV) नियम 8(1)]

जबकि, **मैसर्स सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड** के प्राधिकृत अधिकारी, नैशनल हाउसिंग बैंक अधिनियम के तहत एक हाउसिंग फाइनेंस बैंक कम्पनी है, वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण के प्रावधानों और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002(2002 का 54) (इसके बाद ''सरफैसी अधिनियम,2002'' से संदर्भित) के तहत जिसका **पंजीकृत वर्तमान पता : दूसरा तल, 13/29, ई–ब्लॉक, हर्षा भवन, मिडिल सर्कल, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली–110001,**(इसके बाद ''एसएचएफएल'' से संदर्भित)और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एक मांग सूचना निम्न (उधारकर्ताओं) और (सह – उधारकर्ताओं) निर्गमित कर सूचना में उल्लेखित राशि को उक्त सूचना की प्राप्ती की दिनांक से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आहवान किया गया। उधारकर्ता/गारंटर राशि चुकाने में विफल रहे है, एतद द्वारा उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को सूचना दी जाती है कि अधोहस्ताक्षरी ने प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमों, 2002 के नियम 8 के साथ सहपठित अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (4) के तहत उसे प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में नीचे वर्णित संपत्तियों का वर्णित दिनांक पर कब्जा ले लिया है।

विशेष रूप से उधारकर्ता और सामान्य रूप से जनता को आगाह किया जाता है कि संपत्तियों से व्यवहार न किया जाए और संपत्तियों के साथ कोई भी व्यवहार ब्याज और अन्य प्रभारों के साथ ''एसएचएफएल'' के प्रभार के अधीन होगा।उधारकर्ता का ध्यान उपलब्ध समय के संबंध में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों पर आमंत्रित किया जाता है, ताकि प्रत्याभूत परिसंपत्तियों को छुड़ाया जा सके।

1) उधारकर्ता/सह – उधारकर्ता का नाम और पता: 1. श्रीमती महिमा गुर्जर पत्नी मोदा राम, 2. श्री मोदा राम पुत्र मधु लाल – पट्टा सं.05, ग्राम –सरसारी (लाखा का खेड़ा), ग्राम पंचायत–उडलियास, पंचायत समिति–कोटरी, जिला भीलवाड़ा– 311603 (राजस्थान)

मांग सूचना दिनांक : 19.02.2026, **कब्जा की दिनांक : 03.06.2026**

मांग सूचना राशि: रूपये 4,32,210.00/– दिनांक 10.02.2026 तक

संपत्ति का विवरण: मकान पट्टा सं.05, ग्राम –सरसारी (लाखा का खेड़ा), ग्राम पंचायत–उडलियास, पंचायत समिति–कोटरी, जिला भीलवाड़ा– 311603 (राजस्थान)– 311603 पर स्थित का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। **सीमांकन निम्न प्रकार:** पूर्व: तेज जी का स्थान/ स्कूल, पश्चिम: सड़क, उत्तर: दुदा पुत्र अमरा गुर्जर, दक्षिण :राय मल पुत्र गोपी गुर्जर **भूमि मापक क्षेत्र** 80 X 30 कुल क्षेत्र 2400 वर्ग फुट

2) उधारकर्ता/सह – उधारकर्ता का नाम और पता: 1. श्रीमती प्यारी देवी पत्नी गेना बलई, 2. श्री शंकर लाल बलई पुत्र गेना बलई , 3. श्री सुगना बलई पिता शंकर लाल बलई– पट्टा 12, लाडूवास, ग्राम पंचायत लाडूवास, पंचायत समिति मंडल, तहसील मंडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान– 311403

मांग सूचना दिनांक : 19.02.2026, **कब्जा की दिनांक : 04.06.2026**

मांग सूचना राशि: रूपये 3,87,795.00/– दिनांक 10.02.2026 तक

संपत्ति का विवरण: मकान पट्टा 12, लाडूवास, ग्राम पंचायत लाडूवास, पंचायत समिति मंडल, तहसील मंडल, जिला भीलवाड़ा, राजस्थान– 311403 पर स्थित का संपूर्ण व सर्वांगीण भाग। **सीमांकन निम्न प्रकार:** पूर्व: साझा सड़क, पश्चिम: साझा सड़क, उत्तर: लाडू/गेना बलई, दक्षिण :शंकर/गेना बलई, **भूमि मापक क्षेत्र** 41 X 52 कुल क्षेत्र 2132 वर्ग फुट

स्थान : राजस्थान **हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी**
दिनांक : 09.06.2026 **सुप्रीम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड**

कब्जा सूचना

जबकि वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 (2002 का 54) के तहत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के तहत एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लि. एआरसीआईएल-2026-006-ट्रस्ट (एआरसीआईएल) को ट्रस्टी के रूप में अपनी क्षमता में कार्यरत, के प्राधिकृत अधिकारी ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित उधारकर्ताओं और बंधककर्ताओं को मांग नोटिस जारी किया, जिसमें सूचना में नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित राशि को उक्त नोटिस के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर चुकाने का आह्वान किया गया था। उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता(ओं) उक्त राशियों को चुकाने में विफल रहे हैं, विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर/बंधककर्ता को तथा आम जनता को यह सूचित किया जाता है कि नीचे हस्ताक्षरकर्ता, जो एआरसीआईएल का प्राधिकृत अधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(4) के अंतर्गत उसे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त नियम के नियम 8 के साथ पठित नीचे उल्लिखित तिथि को '' जहां है और जो कुछ भी है, के आधार पर '' नीचे वर्णित अंतर्निहित अचल संपत्ति पर कब्जा कर लिया है।

कर्जदार और गारंटर का नाम	बगाया राशि और मांग सूचना की तिथि	सम्पत्ति का विवरण	कब्जा सूचना की तिथि
उधारकर्ता : जगदीश जी पुत्र मोहन लाल सह-उधारकर्ता: कांशल्या बाई लोहार C/O मोहन लाल गारंटर: कालूराम जी पुत्र मूलचंद (लोन नं.: 5700920)	रु. 668058.77/- (रुपय छः लाख अड़सठ हजार अट्ठावन पैसे सतहत्तर मात्र) 22 सितम्बर 2025 तक, 23 सितम्बर 2025 से भुगतान/वसूली तक सुविधाओं पर आगे ब्याज के साथ मांग नोटिस दिनांक: 25 सितम्बर 2025	आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग भूमि खसरा नं. 435 का भाग, ग्राम दीगोद जागीर, ग्राम पंचायत दीगोद जागीर, पंचायत समिति छीपाबड़ौद, जिला. बारां राजस्थान, क्षेत्रफल 540 वर्ग फीट जगदीश से संबंधित सिमाएँ:- उत्तर: श्री लाल का मकान, दक्षिण: बृज मोहन का मकान, पूर्व: सड़क, पश्चिम: कन्हैया लाल का मकान	04.06. 2026
उधारकर्ता : किशन लाल गुर्जर पुत्र छोटू लाल गुर्जर सह-उधारकर्ता: समता कुमारी गुर्जर पुत्र मांगी लाल गारंटर: रामस्वरूप गुर्जर पुत्र मंगू गुर्जर (लोन नं.: 5777040)	रु. 607402.47/- (रुपय छः लाख सात हजार चार सौ दो पैसे सैंतालीस मात्र) 22 सितम्बर 2025 तक, 23 सितम्बर 2025 से भुगतान/वसूली तक सुविधाओं पर आगे ब्याज के साथ मांग नोटिस दिनांक: 25 सितम्बर 2025	आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग स्थित ग्राम पंचायत बोरेड़ा, कोटडी, भीलवाड़ा, राजस्थान, क्षेत्रफल 2400 वर्ग फिट किशन लाल से संबंधित- उत्तर: देबी, दक्षिण: भेरू, पूर्व: भारू, पश्चिम: सड़क	03.06. 2026
उधारकर्ता : पूरन सिंह पुत्र नाथू सिंह सह-उधारकर्ता: धुली देवी C/O पन्ना सिंह गारंटर: हेम सिंह पुत्र रूप सिंह (लोन नं.: 5878062)	रु. 299766.2/- (रुपय दो लाख निन्यानवे हजार सात सौ छियासठ पैसे दो मात्र) 30 जनवरी 2026 तक, 31 जनवरी 2026 से भुगतान/वसूली तक सुविधाओं पर आगे ब्याज के साथ मांग नोटिस दिनांक: 30 जनवरी 2026	आवासीय सम्पत्ति के सभी अभिन्न अंग पट्टा नं.-13, बुक नं. 35, खसरा नं.- 787, जी.पी.- कोटरा, पी.एस.- जवाजा, जिला- अजमेर, राजस्थान - क्षेत्रफल 91.11 वर्ग गज - पूरन सिंह से संबंधित सीमाएँ:- उत्तर: पुष्पेंद्र सिंह, दक्षिण: हेम सिंह, पूर्व: खुली भूमि, पश्चिम: हुकुम सिंह	05.06. 2026

विशेष रूप से उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) और सामान्य रूप से आम जनता को एतद्द्वारा चेतावनी दी जाती है कि एआरसीआईएल ऊपर उल्लिखित अचल संपत्ति के वैध कब्जे में है और सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(13) के तहत, उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) या किसी भी व्यक्ति को, इस नोटिस की प्राप्ति के बाद, बिक्री के माध्यम से हस्तांतरण नहीं किया जाएगा, एआरसीआईएल की पूर्व लिखित सहमति के बिना अचल संपत्ति को पट्टे पर देना या अन्यथा सौदा करना/हस्तांतरित करना और अचल संपत्ति के साथ कोई भी लेन-देन उपरोक्त राशि के लिए आकस्मिक व्यय, लागत, प्रभार आदि के साथ उपर्युक्त राशि पर संविदात्मक दर पर भविष्य के ब्याज के साथ एआरसीआईएल के प्रभार के अधीन होगा। उपर्युक्त अचल संपत्ति के विमोचन के लिए उपलब्ध समय के संबंध में उधारकर्ता/गारंटर(ओं)/बंधककर्ता(ओं) अधिनियम की धारा 13 की उपधारा(8) के प्रावधानों की ओर आकर्षित किया जाता है।

हस्ता/– प्राधिकृत अधिकारी,
एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
स्थान: राजस्थान एआरसीआईएल-2026 - 006 - ट्रस्ट (एआरसीआईएल) के ट्रस्टी

Arcil Premier ARC

एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी (इंडिया) लिमिटेड
CIN NO :- U65999MH2002PLC134884 वेबसाइटः **www.arcil.co.in;**
पंजीकृत कार्यालयः द रूबी, 10वीं मंजिल, 29, सेनापति बापट मार्ग, दादर (पश्चिम) मुंबई-400028. फोन : +91 2266